प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

बालक के साथ घटित घटना का 48 घंटे में सफल अनावरण, संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 29.05.2021

दिनांक 26.05.2021 को एक 08 वर्षीय बालक अपने परिजन के साथ ग्राम पटवन भैंसी थाना थानगांव में तिलक समारोह में आया था, रात्रि में ही कही गुम हो गया था। अगली सुबह जिसका शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में मिला था। इस संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना थानगांव पर मु0अ0सं0 164/21 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह द्वारा घटना के शीघ्रातिशीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में 03 टीमों का गठन किया गया था।

घटना के अनावरण का विवरण - पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार घटना के अनावरण हेतु गठित थाना थानगांव पुलिस टीम द्वारा 48 घंटे के भीतर घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त प्रमोद कुमार पटवा उम्र 30 वर्ष पुत्र कमला प्रसाद निवासी ग्राम भैंसी थाना थानगाँव सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त ने पूछतांछ में बताया कि दिनांक 26.05.2021 को गांव में हो रहे तिलक समारोह में वह भी गया था, जहां बालक को अकेला पाकर बहला फुसला कर अपने साथ ले गया तथा अपने घर पर अप्राकृतिक कृत्य किया। बच्चे द्वारा पहचान लिये जाने व पकड़े जाने के डर से उसने बालक की गला दबाकर मृत्यु कारित कर दी व शव को खेत में ले जाकर डाल दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का चालान अंतर्गत धारा 302/201/377/342 भादवि व धारा 5(ड़)/6 पाक्सो एक्ट कर माननीय न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- प्रमोद कुमार पटवा उम्र 30 वर्ष पुत्र कमला प्रसाद निवासी ग्राम भैंसी थाना थानगाँव सीतापुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 164/2021 धारा 302/201/377/342 भादवि व धारा 5(ड़)/6 पाक्सो एक्ट थाना थानगांव, सीतापुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना थानगांव-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार
2. का0 विजयपाल
3. का0 शोएब

थाना थानगाँव
थानाध्यक्ष
मो. 9454404269
जनपद - सीतापुर
हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर